उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-116/2015/आर-3799/26-3-2015-1740/2014

लखनऊः दिनांकः 23 अक्टूबर, 2015

शुद्धि पत्र

रिट याचिका संख्या-34404/2014 अजब सिंह व 51 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-08.07.2014 एवं अवमानना याचिका संख्या-5759/2014 अजब सिंह बनाम श्री मुकेश मित्तल, सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक-15.10.2014 के अनुपालन में समाज कल्याण अनुभाग-3 के निर्गत शासनादेश संख्या-102/2015/आर.-3014/26-3-2015, दिनांक-22.09.2015 के प्रस्तर-1 में "याची शिक्षण संस्था की वर्ष 2013-14 की दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-22.586 लाख (रूपया बाइस लाख अट्ठावन हजार छः सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष जनपद (बरेली) स्तर पर उपलब्ध धनराशि रूपया-46.581 लाख (रूपया छियालिस लाख अट्ठावन हजार एक सौ मात्र) से भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने" के स्थान पर त्रुटिवश "वर्ष 2013-14 की याची शिक्षण संस्था के 23 अनुसूचित जाति छात्र-छात्रों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपये-22,58,600/-(रूपये बाइस लाख अट्ठावन हजार छः सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-81 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।" अंकित हो गया है, जिसे तदनुसार उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक-22.09.2015 का शेष अंश यथावत रहेगा।

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

पृं0 संख्या-16/2015/3799(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक-2602/सक/शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-07.09.2015 के सन्दर्भ में।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बरेली।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in